

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 25 जुलाई 2018

विषय:- जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 07 (वाराणसी-हनुमना सेक्शन) किमी० सं० 49.500 से किमी० सं० 140.200 तक के सुदृढीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 113.63 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 131.0175 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10473 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में

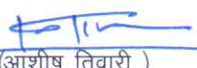
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-05/11सी एफ/यूपी/रोड/30569/2017, दिनांक-03-7-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 07 (वाराणसी-हनुमना सेक्शन) किमी० सं० 49.500 से किमी० सं० 140.200 तक के सुदृढीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 113.63 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 131.0175 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10473 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-पी 137 (1)/14-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर।
- 3- जिलाधिकारी मिर्जापुर।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
- 5- प्रबंधक तकनीकी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, वाराणसी।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव